पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बेहतर कार्य करने वाले औषधि निरीक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिया गया

लखनऊ : 04 दिसम्बर, 2025

मा0 मुख्यमंत्री जी/विभागीय मंत्री के निर्देश के समादर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नारकोटिक दवाओं के अवैध व्यापार, उनके डायवर्सन तथा नशे के रूप में दुरुपयोग की रोकथाम हेतु एक माह का विशेष राज्यव्यापी अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 40 जनपदों में कोडिन सीरप संबंधित अन्य नियंत्रित दवाओं की खरीद, भंडारण और बिक्री की व्यापक एवं तकनीकी जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों पर अनियमितताएँ चिन्हित होने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की गई।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अभियान के दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रांची राज्यों के फर्मों से प्राप्त सूचनाओं को विभाग द्वारा व्यवस्थित रूप से संकलित कर उनका गहन विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर जनपद स्तर पर छापेमारी, निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इस संपूर्ण कार्यवाही के लिए मुख्यालय से नियुक्त दो ड्रग इंस्पेक्टर श्री वैभव बब्बर एवं श्रीमती सीमा सिंह के कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा की, इन निरीक्षकों ने जमीनी स्तर पर जाँच, सूचना विश्लेषण, आकस्मिक निरीक्षण तथा प्रशासनिक समन्वय में उत्कृष्ट कार्य कर अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन दोनों ड्रग निरीक्षकों तथा पूरे प्रकरण में मुख्यालय के जिन ड्रग इंस्पेक्टरों ने विभागीय मंशानुरूप बेहतर कार्य किया है, उन्हें सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

सम्पर्क सूत्र– अजय द्विवेदी

राघवेन्द्र/06:00 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in